रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1987/ज्येष्ठ 11, 1909
No. 116] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1987/JYAISTHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना स 182-आई टी सी (पी एन) /85—88

नई दिल्ली, 1 जून, 1987

विषय.—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात निर्यात नीति

फा स. 1/3/आर ई पी/85-ई पी सी —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	292-293 (314-315)	परिशिष्ट-19 कर छूट स्कीम पैरा-29	(1) वर्तमान उप-पैरा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "यदि कोई लाइसेंसधारी अनुमित समय के भीतर, चाहे पूरा या आंशिक रूप में, निर्धारित निर्यात आभार को पूरा करने

1	2	3	4
			मे असफल रहता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 के पैरा 350-क मे उल्लिखित निदेशो के अनुसार लाइसेंसधारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करेगा। लेकिन, यह कार्रवाई सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के अधीन सीमा शुल्क कर या अन्य कर और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए की गई किसी अन्य कार्रवाई को ध्यान मे रखे बिना की जाएगी।' (2) उप पैरा-(3-क) मे "उपर्युक्त उप-पैरा -3" के शब्दो को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा — "आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 के पैरा 350-क" (3) उप-पैरा (4) को हटा दिया जाएगा।

3 वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 2–आई टी सी (पी एन)/85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। उपर्युक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानो पर किए जाएंगे —

क्रम सं	आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	65 (66)	अध्याय–16 कर छूट स्कीम पद्य–350	इस पैरे के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोडा जाएगा — 350-क(1) यदि कोई लाइसेंसधारी चाहे पूरा या आंशिक रूप से निर्धारित निर्यात आभार पूरा नही करता है और लाइसेंस प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कर छूट प्राप्त माल बेचा नही गया है या घरेलू उत्पादन के लिए उसका दुरुपयोग नही किया गया है तो लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा कर छूट हकदारी प्रमाणपत्र को नियमित करने या मुक्त करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी — (क) यदि निर्यात आभार माला के अनुसार पूरा कर दिया गया है परन्तु मूल्य के अनुसार उसमे कमी है तो लाइसेंसधारी को आयात नीति के परिशिष्ट 17 के अनुसार किसी भी उत्पाद समूह के वैध आर ई पी लाइसेंस(सो)/हकदारी का उस मूल्य के बराबर अभ्यर्पण करना पडेगा जो मूल्य के अनुसार लगाए गए और वास्तव मे प्राप्त किए गए निर्यात आभार का अन्तर है। (ख) यदि निर्यात आभार मूल्य के अनुसार पूरा कर दिया गया है परन्तु केवल माला के अनुसार उस मे कमी है तो लाइसेंसधारी को निम्न लिखित अपेक्षित होगा — (1) जिस आधार पर अनुमोदित निवेश-उत्पाद मानदण्डों के अनुसार छूट माल की उस माला पर जो असमुपयोजित मान लिया गया है, 18 प्रतिशत ब्याज के सहित सीमाशुल्क प्राधिकारियो को सभी शुल्को का भुगतान करना, और (2) यदि आयात की सभी अथवा कुछ मदे वापसी की तारीख को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन से भिन्न असमुपयोजित रहे अधिक माल के लागत-बीमा-भाडा मूल्य के समतुल्य हकदारी/वैध आर ई पी लाइसेंस को वापस करना। लेकिन आर ई पी लाइसेंस/हकदारी की वापसी इसी निर्यात उत्पाद वर्ग के लिए हो। यदि यह कमी 10 प्रतिशत तक हो और यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक हो तो आयात नीति के परिशिष्ट-17 की इसी क्रमांक स अथवा उपक्रम सं के लिए हो।

1	2	3	4
			(ग) यदि लाइसेंसधारक मात्रा और मूल्य दोनों में ही निर्यात आभार पूरा करने में असमर्थ है तो उसको निम्न अपेक्षित होगा — (1) जिस आधार पर अनुमोदित निवेश-उत्पाद मानदण्डों के अनुसार छूट माल की उस मात्रा पर असमुपयोजित मान लिया गया है, 18 प्रतिशत ब्याज के सहित सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सभी शुल्कों का भुगतान करना, और (2) उपर्युक्त पैरा (ख) (2) के अनुसार वैध आर ई पी/लाइसेंस हकदारी वापस करने के लिए और इसकी अतिरिक्त मूल्य में ह्रास के लिए उपर्युक्त पैरा (क) के अनुसार। (2) उपर्युक्त उप पैरा (1) में उल्लिखित मामलों में, यदि लाइसेंसधारक लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की अवधि के दौरान अथवा निर्यात आयुक्त द्वारा इस प्रकार से बढ़ाई गई अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा निष्पादित बाण्ड/विधिक करार लागू किया जाए। लाइसेंसधारक इस प्रकार चूककर्ता घोषित किया जाए जिससे कि वह इस स्कीम सहित नीति के किसी भी प्रावधान के अधीन उसके कोई भी लाइसेंस/रिलीज आदेश प्राप्त करने का कोई हक न हो। यदि लाइसेंसधारक उपर्युक्त उप-पैरा (1) में निहित शर्तों का अनुपालन करता है तो लाइसेंसधारक को चूककर्ता घोषित करने का आदेश लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा वापस लिया जाए। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सीमाशुल्क तथा उस पर देय ब्याज यदि कोई हो तो उसका समायोजन जब्त की गई बैंक गारण्टी से किया जाएगा। उन मामलों में जहां कोई बैंक गारण्टी नहीं दी गई है या बैंक गारण्टी की राशि देय राशि के वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो लाइसेंसधारी को देय निर्यात प्रोत्साहनों में से कटौतियां करके वसूल की जाएं। लाइसेंस प्राधिकारी निर्यातक की आर ई पी हकदारी जो भी अर्जित की गई हो या उपर्युक्त उप पैरा (1) के अनुसरण में प्रत्यर्पित की गई हो को उन लाइसेंसों की मात्रा क मद्दे ... में अर्जित की जाए को भी समजित किया जाए। (3) उन मामलों में जहां लाइसेंस प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति की असफलता का कारण निर्यात की कोई भूल या कोई लापरवाही है वहां निर्यातक द्वारा निष्पादित किया गया बाण्ड/विधिक करार को लागू किया जाएगा। लाइसेंस प्राधिकारी उपर्युक्त उप पैरा (1) के अनुसार की गई कार्रवाई के अतिरिक्त आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त वित्तीय दण्ड दे सकते हैं। (4) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि छूट प्राप्त माल बेचा गया है या स्वदेशी उत्पादनों के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है वहां उल्लिखित प्राधिकारी उपर्युक्त उप पैरा (3) में उल्लिखित के अतिरिक्त वर्जित करके या आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत जारी आदेशों के अन्तर्गत अभियोजन के द्वारा कार्रवाई करे। इन मामलों में बाण्ड का निष्पादन सीमाशुल्क तथा इस पर देय ब्याज की राशि अतिरिक्त के होगा। लाइसेंसधारक को चूककर्ता यथोचित करेगा और उसको इस नीति के अन्तर्गत इस स्कीम के सहित इससे लाइसेंस/रिलीज आदेश की हकदारी से विमुक्त कर दिया जाएगा। (5) उपर्युक्त उप पैराग्राफों में उल्लिखित को ध्यान में रखे बिना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात किसी भी मामले की पुनरीक्षा कर सकते हैं और उचित आदेश पारित कर सकते है।

6. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

7. कालम (2) में कोष्ठक में उल्लिखित संख्या संशोधित आयात-निर्यात नीति पुस्तक और आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 की पृष्ठ संख्या को दर्शाते हैं।

ह./-

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात
प्रतिभा मोहन, उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 182-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 1st June, 1987

Subject : Import & Export Policy for April 1985—March, 1988

F. No. 1/3/REP/85-EPC :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March, 1988 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1985-88 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	292-293 (314-315)	APPENDIX 19. : DUTY EXEMPTION SCHEME, PARA 29	(i) The existing sub-para (3) shall be substituted by the following : "(3) If a licence holder fails to discharge the prescribed Export Obligation within the permitted time, either in full or in part, the licensing authorities shall initiate action against the licence holder on the lines indicated in Para 350-A of Chapter XVI of the Hand Book of Import Export Procedures, 1985—88. This action shall, however, be without prejudice to any action that may be initiated by the Customs authorities for recovery of Customs duty or other duties and interest thereon under Section 142 of the Customs Act, 1962." (ii) In sub-para (3-A), the words "sub-para 3 above" shall be substituted by the following : "Para 350-A of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985—88". (iii) Sub-para (4) shall be deleted.

3. Attention is also invited to the Hand Book of Import-Export Procedures 1985—88, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/85-88 dated the 12th April, 1985. The following amendments shall be made in the said Hand Book at the appropriate places as indicated below :

Sl. No.	Page No. of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985 – 88	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	65 (65)	CHAPTER XVI DUTY EXEMPTION SCHEME PARA — 350	After this para, the following new para shall be added :— "350-A (1). If a licence holder fails to discharge the prescribed Export Obligation, either in full or in part and the licensing authority is satisfied that the exempt material has not been sold or misutilised for domestic production, the following action may be taken by the licensing authorities to regularise and discharge the DEEC :— (a) If the export obligation has been fulfilled in terms of quantity but there is a shortfall in terms of value, the licence holder shall be required to surrender valid REP licence(s) entitlement of any product group as per Appendix 17 of the Import Policy, for a value equivalent to the difference in the export obligation imposed and actually achieved in value terms.' (b) If the export obligation has been fulfilled in terms of value but there is a shortfall only in terms of quality, the licence holder shall be required— (i) to pay to the Customs Authorities all duties alongwith 18% interest on such quantity of the exempt materials as are deemed to have remained unutilised as per approved input-output norms on the basis of which the licence was issued, and (ii) to surrender valid REP licence/entitlement equivalent to the CIF value of the excess material left unutilised if all or some of the items of import were other than those under OGL on the date of surrender. However, ihe surrender of REP licence/entitlement may be for the same export product group, if the shortfall is upto 10% and for the same Sl. No. or sub-Sl. No. of Appendix 17 of the Import Policy, if it is more than 10%. (c) If the licence holder is not able to fulfil the export obligation both in terms of quantity and value, he shall be required— (i) to pay to the Customs Authorities all duties alongwith 18% interest on such quantity of the exempt materials as are deemed to have remained unutilised as per approved input-output norms on the basis of which the licence was issued; and (ii) For the shortfall in quantity to surrender valid REP licence/entitlement as per (b)(ii) above and in addition for the shortfall in value, as per (a) above. (2) In cases referred to sub-para (1) above, if the licence holder fails to act as above when directed by the licensing authority within a period of 3 months or such further period as extended by the Export Commissioner, the band/legal agreement executed by him may be enforced. The licenceholder may be declared a defaulter thereby disentitling him to secure any licences/release orders under any provisions of the policy including this scheme. The order declaring the licensee defaulter

(1)	(2)	(3)	(4)
			may be withdrawn by the licensing authority on the licensee fulfilling the conditions prescibed in sub para (1) above. The Customs dutles and the Interest payable thereon would be adjusted from the forfeited Bank Guarantee, if any, by the licensing authority. In cases where no Bank Guarantee has been furnished or the amount of the Bank Guarantee is not sufficient to cover the amount payable, recovery may be made from the export incentives due to the licence holder. The licensing authority may also adjust the REP entitlement of the exporter which might have been earned or may be earned in future against the quantum of such licences to be surrendered as per sub-para (1) above. (3) In cases where the licensing authority is satisfied that the failure in the fulfilment of the export obligation has been on account of any lapse or any slackness on the part of exporter, the bond/legal agreement executed by the exporter shall be enforced. The licensing authority in additlon to takIng action in sub para (1) above may also impose a suitable fiscal penalty under the Import Export Control Act. (4) Where the licensing authority Is satisfied that the exempt material has been sold or misutilised by diverting it for domestic production, the said authority shall take action for debarment and prosecution under the Import & Export Control Act and Orders issued thereunder in addition to the action enumerated in sub para (3) above. In such cases the en forcement of the bond would be in addition to the recovery of customs duty and interest thereon. The licensee shall be declared a defaulter disentitling him to any licences/release orders under the Policy including this Scheme. (5) Notwithstanding any thing contained in the above sub-paragraphs, the Chief Controller of Imports and Exports may review any case and pass appropriate orders.

6. The above amendments have been made in Public interest.

7. The number in bracket in Column (2) indicate the page number in the amended Import-Export Policy Book and Hand Book of Import-Export Procedures, 1985—88.

Sd/-

(R. L. MISRA)

Chief Controller of Imports and Exports

P. MOHAN, Dy. Chief Controller of Imports and Exports
For Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987